ernment have taken a number of steps in the recent past which would help to achieve better unit value realisation in respect of textile and garment exports which include introduction of liberalised Export Promotion (Capital Goods) Scheme, thereby facilitating import of modern textile and garment machinery items at 25% and 15% duty, providing access to international quality raw materials under Advance Licence Scheme, fixing of Minimum Export Price for quota items in terms of convertible currencies, increasing quota allocation under Manufacturer Exporters Entitlement System, inculcating quality consciousness among exporters through seminars and workshops etc.

Export of Man Made Textiles

2594. DR. SANJAYA SINH : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether any proposal is under Government's consideration to bring about large scale expansion of man-made Textiles exports; and

(b) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT) : (a) and (b) India's exports of man-made textiles have been registering substantial increases over the last few years. The exports of this item amounted to Rs. 1115 crores during 1991-92, which is 76% higher than the exports of Rs. 635 crores during 1990-91.

Government have been taking promotional measures from time to time to boost exports of textile items, including man-made textiles, such as sponsoring sales-cum-study teams, participation in fairs in major markets, releasing advertisements in foreign trade magazines, grant of duty drawback and appropriate quota policy measures.

हथकरघा बुनकरों को सूत की आपूर्ति

2595. श्री रामसिंह राठवा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा बुनकरों को फैक्ट्री कीमत पर सूत की आपूर्ती किए जाने की कोई योजना चल रही है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अधीन किए गए कार्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) (क) हथकरघा बुनकरों को मिल-गेट मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) यह योजना चालू वर्ष अर्थात् 1992-93 के दौरान कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित की गई है । सूती धागे सहित लगभग 10 मिलियन किलोग्राम धागा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से सप्लाई किया जाएगा । राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि० द्वारा परिवहन पर और ऊपरी खर्चों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ती के लिए सरकार मिल-गेट मूल्यों पर सप्लाई किए गए कुल यार्न के मूल्य के 2% की दर से सब्सिडी देगी ।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अप्रैल 1992 से अक्तूबर 1992 के दौरान राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि० द्वारा सप्लाई किए गए यार्न का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है ।

विवरण

हथकरघा बुनकरों को सूत की आपूर्ति

माता किलोग्राम में

क्र० सं०	राज्य का नाम	मूल्य लाख रु० में	
		मिल रेट मूल्यों पर	यार्न की सप्लाई
1	2	3	4
		माता	मूल्य
1.	आंध्र प्रदेश	229177.50	180.71
2.	असम	—	—
3.	बिहार	—	—
4.	गुजरात	—	—
5.	हरियाणा	4593.18	2.54
6.	हिमाचल प्रदेश	100.00	0.08
7.	जम्मू व कश्मीर	15000.00	5.45
8.	कर्नाटक	59032.00	36.39
9.	केरल	54893.60	32.60
10.	मध्य प्रदेश	40575.52	22.33
11.	महाराष्ट्र	4267.00	3.89
12.	मनीपुर	—	—
13.	मिज़ोरम	—	—
14.	मेघालय	363.20	0.34
15.	नागालैण्ड	—	—
16.	उड़ीसा	—	—
17.	पांडिचेरी	—	—
18.	राजस्थान	—	—
19.	सिक्किम	200.00	0.16
20.	तमिलनाडु	10058.00	130.32
21.	अरूणाचल प्रदेश	—	—
22.	त्रिपुरा	2724.00	3.81
23.	उत्तर प्रदेश	35688.00	21.76
24.	पश्चिमी बंगाल	38136.00	26.78
	कुल	694808.00	467.16